सं0 1 (14)-संस्था0 111/89
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
....
नई दिल्ली, 16 जून, 1989

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम, 1986 नियम 7 की टिप्पणी 7 के अंतर्गत वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।
....

आपका ध्यान केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम, 1986 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 7 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें 1 जनवरी, 1986 से पूर्व उच्चतर पद पर पदोन्नत हुआ कोई वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान में 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर पदोन्नत हुए अपने से किसी कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उस उच्चतर पद में उससे कनिष्ठ कर्मचारी के लिए नियत वेतन के बराबर राशि तक बढ़ा दिए जाने का प्रावधान है। वेतन का इस प्रकार बढ़ाया तभी स्वीकार्य है जबकि विसंगति मू0नि022-ग अथवा किन्हीं अन्य नियमों के प्रावधानों या संशोधित वेतनमान में ऐसी पदोन्नति पर वेतन नियतन के विनियोजन करने संबंधी आदेश लागू होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो तथा साथ ही उसमें उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी होती हों। विसंगति तभी हुई मानी जा सकती है यदि एक वरिष्ठ कर्मचारी जो निचले पद में अपने से कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और पहले ही पदोन्नत हो गया हो तथा बाद में नियमित आधार पर पदोन्नत हुए ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त करने लगा हो। इसके अलावा दो कर्मचारियों का समान वेतन लिया जाना तभी माना जाता है यदि वे एक ही स्टेज पर वेतन प्राप्त कर रहे हों तथा उनके वेतन-वृद्धि की तारीख भी वही हो। ऐसी अवस्था में जब कोई कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारी के समान वेतन प्राप्त कर रहा हो तथा उसकी वेतनवृद्धि की तारीख वरिष्ठ कर्मचारी से पहले हो, तब वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा समान वेतन प्राप्त किया जाना नहीं माना जा सकता और इस प्रकार यह कोई विसंगति नहीं है।

ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं कि जहां वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों का वेतन कनिष्ठ कर्मचारियों के समान बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गई है हालांकि उसमें कोई विसंगति नहीं थी क्योंकि वरिष्ठ कर्मचारी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं था जब वह निचले पद में कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या अधिक वेतन प्राप्त करे । इस प्रकार वेतन बढ़ाये जाने की जहां कहीं भी स्वीकृति दी गई है उसे दूर किया जाना चाहिए ।

यह भी देखने में आया है कि कुछ मामलों में, जहां विसंगति नियम 22-ग या पदोन्नति पर वेतन नियतन संबंधी किसी अन्य नियम/आदेश लागू होने के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी, वहां पूर्वोक्त नियम 7 के नीचे टिप्पणी 7 के अंतर्गत वेतन बढ़ा दिया गया है । ये ऐसे मामले हैं जिनमें कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पु0वे0) नियम, 1986 के नियम 8 के परंतुक 3 और 4 के अंतर्गत वेतन-वृद्धियों के कारण निचले पद में ही वर्धित वेतन लेने लगे और बाद में पदोन्नत होने पर उनका वेतन मू0नि0 22-ग के अंतर्गत नियत किया गया । चूंकि कनिष्ठ कर्मचारी ने मू0नि022-ग के लागू होने के कारण अधिक वेतन लेना प्रारंभ नहीं किया अपितु अधिक वेतन निचले पद में ऊपर उल्लिखित नियम 8 के परंतुक 3 और 4 के अंतर्गत वेतनवृद्धियों के परिणामस्वरूप है, अत: पूर्वोक्त नियम 7 के नीचे टिप्पणी 7 इससे संबद्ध नहीं है और इन प्रावधानों के अंतर्गत वेतन बढ़ाना ठीक नहीं है ।

3. फिर भी, सरकार का यह मत है कि यदि विसंगति मू0नि0 22-ग को लागू करने के साथ-साथ केंद्रीय सिविल सेवा (पु0वे0) नियम, 1986 के नियम 8 के परंतुक 3 और 4 की शर्तों के अनुसार वेतन-वृद्धियों के परिणामस्वरूप है तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन 1.1.86 से पूर्व पदोन्नत हुए वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर 1.1.86 को अथवा उसके बाद पदोन्नत कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर देने से विसंगति दूर की जा सकती है :-

(क) कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सरकारी कर्मचारी एक ही संवर्ग से संबंधित हों और जिन पदों पर उनकी पदोन्नति हुई है वे एक ही संवर्ग में समरूप होने चाहिएं ;

(ख) निचले और उच्चतर पदों, जिनमें वे वेतन लेने के हकदार हैं, के संशोधन-पूर्व तथा संशोधित वेतनमान समरूप होने चाहिएं ; और

(ग) 1.1.86 से पूर्व पदोन्नत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी निचले पद में 1.1.86 के बाद पदोन्नत हुए अपने कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर अथवा उससे अधिक वेतन लेता रहा हो ।

..3/-

4. आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं कोई वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी 1.1.86 से पूर्व निचले पद के संशोधन-पूर्व वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाने के बाद पदोन्नत हुआ हो, तो यह समझा जाना चाहिए कि वह अपने से कनिष्ठ कर्मचारी के समान, जो उस तारीख को अर्थात् वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख को वेतनमान के अधिकतम पर वेतन ले रहा था तथा 1.1.1986 के बाद पदोन्नत हुआ था, वेतन ले रहा है।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

(बी० कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(मानक सूची के अनुसार)